भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड
कोटा– 324005 राजस्थान

-69

फा0स0 I(22)-50/Adm/2005- दिनांक 01.06.16

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा के निम्न शासकीय वाहन दिनांक 17.06.16 को समय 11..00 बजे नीलाम किया जाएगा। नीलामी "जहां है, जैसी है" आधार पर की जानी है। वाहनो का विवरण निम्न है:

क्र.स.	वाहन स0	मार्डेल	नीलामी का स्थान
1	RJ 20 C 6801 (TATA SUMO)	1998	कार्यालय परिसर, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, झालावाड रोड, महावीर नगर प्रथम कोटा
2	RJ 20 C 6788 (TATA SUMO)	1998	
3	MQU 5634 (AMBASSADAR CAR)	1989	

नीलामी की शर्ते:–

1. नीलामी हेतु प्रत्येक बोली लगाने वाला रू 10000/–(दस हजार) मात्र अग्रिम धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही बोली लगा सकेगा। यह राशि बोली समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जाएगी।
2. नीलामी अधीकारी द्वारा सबसे ज्यादा बोली स्वीकृत किये जाने पर, बोली की 25 प्रतिशत राशि, बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद जमा करानी होगी तथा शेष राशि अगले 7 दिन के अन्दर जमा करानी होगी।
3. बोली छुडाने वाली फर्म को नीलामी राशि पर, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय कर/वैट का भुगतान संबंधित वाणिज्य कर अधिकारी को नियमानुसार जमा करवा कर, प्राप्त जमा रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
4. यदि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली फर्म में नीलामी राशि का भुगतान नियत अवधि के अन्दर नही किया तो उस फर्म की धरोहर राशि एवं बोली की स्वीकृति पश्चात जमा कराई गई 25 प्रतिशत राशि, जब्त कर ली जाएगी।
5. वाहन फर्म को तभी सुपुर्द किया जाएगा जब वह सम्पूर्ण धनराशि, विक्रय कर/वैट जमा करवा कर पावती कार्यालय में जमा करेगा। सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात बिके हुए वाहन को 48 घण्टे में कार्यालय परिसर से स्वयं के खर्चे पर हटाना होगा।
6. अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह पूर्ण अधिकार है कि बिना कारण बताए आधी या पूरी नीलामी स्थगित/रद्द कर सकता है।
7. वाहन जहां है, जैसे है, यथास्थिति नीलाम किये जाकर निस्तारित किये जायेगें।
8. वाहन की बोली स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय परिसर में लगाई जायेगी तथा वही व्यक्ति बोली लगा सकेगें जिन्होने धरोहर राशि समय पर जमा कर दी होगी। बोली लगाने का समय दो बजे से चार बजे तक होगा।
9. धरोहर राशि दिनांक 17.06.16 को 11.00 बजे तक कार्यालय की प्रशासन शाखा में स्पष्ट नाम व पता लिखवाकर 10.00 बजे से 12.00 तक जमा की जाएगी।
10. सबसे ज्यादा बोली यदि आरक्षित मूल्य से कम हुई तो नीलामी निरस्त कर दी जाएगी।
11. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
12. नीलामी की विस्तृत जानकारी इस कार्यालय की प्रशासन शाखा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है, तथा इस विभाग की वेब साईट **www.cbn.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से
(दिनेश बौद्ध)
उप नारकोटिक्स आयुक्त,
राजस्थान, कोटा,।

-68-

प्रतिलिपी सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।

अधीक्षक(प्रशासन)
कोटा, राजस्थान।